WESTERN RAILWAY

P.S.No. 146/2014

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No.EP 637/0 Vol.VI

Date:09/01/2015

To,
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- ZS-All India SC/ST Rly Employees. Assn,'W' Zone, Mumbai
C/- ZS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Advance Correction Slip to para 524 (ii) of IRMM, 2000.

==========

A copy of Railway Board's letter No.2013/H/5/1 (Policy) dated 13.08.2014 is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above.

09/1/15

(Dr.(Mrs.)Sanghmitra)
Dy.CPO(W)
For General Manager (E)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2013/H/5/1 (Policy). **New Delhi, Dated.12.08.2014.**

General Managers,
All Indian Railways including PUs & RDSO.

Sub:- Advance Correction Slip to para 524 (ii) of IRMM, 2000.

******

The need to specify conditions for keeping employees on sick list during the course of PME and treatment of period thereof in cases where the employee is a case of diabetes or hypertension or any other treatable condition and declaring him/her fit is likely to take more than 03 days time, has been under consideration of Ministry of Railways for sometime. After careful consideration in the matter, it has been decided to amend para 524 (ii) of IRMM, 2000 to provide that if a Railway doctor is of the view that the employee is a case of diabetes or hypertension or any other treatable condition and declaring him/her fit is likely to take more than 03 days time, the doctor will advise such employee to be kept on sick list till the employee is declared fit for duty. Further, the examining doctor should inform to the controlling authority at the place of posting of the employee concerned in writing to issue sick memo to the employee for the Authorised Medical Officer to keep him/her on sick list till his case is finally decided by the Medical Examiner. In such cases, for the period the employee is kept on sick list due to treatable medical condition, the period of sickness shall be debited to his/her own leave account. However, in other cases where medical examination could not be completed in three days due to reasons not attributable to health condition of the employee, the entire period required by the doctor to come to a conclusion of the PME should be treated as duty.

Advance Correction Slip to 524 (ii) of IRMM, 2000 is accordingly enclosed herewith.

This has approval of Board (MS).

(R.S. Shukla)
Dy. Director /Health
Railway Board.

No. 2013/H/5/1 (Policy). New Delhi, Dated: 12.08.2014.

Copy to:- i) CMDs/CMOs, All Indian Railways including PUs & RDSO.
ii) CPOs, All Indian Railways including PUs & RDSO. R.R. Murthy

(R.S. Shukla)
Dy. Director /Health
Railway Board.

No. 2013/H/5/1 (Policy). New Delhi, Dated: 12.08.2014.

Copy to:- i) [illegible]
ii) E[illegible], E[illegible], Security(F), Security(Spl), PE(Spl) Branches.

(R.S. Shukla)
Dy. Director /Health
Railway Board.

ACS No.

Correction Slip of Para 524, IRMM 2000.

Para 524 (ii), IRMM 2000 may be read as under:-

"**Para 524 (ii), IRMM 2000** - Periodical medical examination of an employee should preferably be completed on the same day for employees in Aye-two and below medical categories and within two days in Aye-one medical category, but invariably within three days for employees of all medical categories. However, if a Railway doctor is of the view that the employee is a case of diabetes, hypertension or any other treatable condition and declaring him/her fit is likely to take more than three days' time, the doctor will advise such employee to be kept on sick list till the employee is declared fit for duty. The examining doctor should inform in writing the controlling authority at the place of posting of the employee concerned to issue sick memo to the employee for the Authorized Medical Officer to keep him/her on sick list till his case is finally decided by the Medical Examiner. In such cases, for the period the employee is kept on sick list due to treatable medical condition, the period of sickness shall be debited to his/her own leave account. However, in other cases where medical examination could not be completed in three days due to reasons not attributable to health condition of the employee, the entire period required by the doctor to come to a conclusion of the PME should be treated as duty. However, it will not include the time taken by the employee to procure spectacle or any wilful delay by the employee"

****

13/8

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 2013/एच./5/1 (पॉलिसी) नई दिल्ली, दिनांक 13.08.2014.

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें
अउमास एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, 2000 के पैरा 524(ii) से संबंधित अग्रिम शुद्धि पर्ची

****

आवधिक चिकित्सा परीक्षा के दौरान कर्मचारियों को बीमारी की सूची में रखने की स्थितियों को विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता और कर्मचारी के शुगर अथवा उच्च रक्तचाप अथवा अन्य किसी उपचारयोग्य स्थिति में होने के मामले में यदि उसे फिट होने में 3 दिन से अधिक समय लगने की संभावना हो, के मामले में अवधि की गणना का विषय कुछ समय रेल मंत्रालय में विचाराधीन है. मामले पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमावली, 2000 के पैरा 524(ii) में यह व्यवस्था करने के लिए संशोधन किया जाए कि यदि डॉक्टर की राय हो कि कर्मचारी को शुगर अथवा उच्च रक्तचाप अथवा अन्य किसी उपचारयोग्य स्थिति में फिट घोषित होने में 3 दिन से अधिक समय लगने की संभावना है, डॉक्टर ऐसे कर्मचारी को ड्यूटी के लिए फिट घोषित होने तक बीमारी की सूची में रखने की सलाह देगा. इसके अलावा जाँच करने वाला डाक्टर संबंधित कर्मचारी के तैनाती स्थल पर उसके नियंत्रण प्राधिकारी को सूचित करेगा कि जब तक चिकित्सा परीक्षक द्वारा कर्मचारी मामले में अंतिम निर्णय न लिया जाए तब तक उसे प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी बीमारी की सूची में रखने के लिए लिखित में सिक मेमो जारी करें. ऐसे मामलों में, उपचारयोग्य चिकित्सा स्थिति के कारण कर्मचारी को सिक लिस्ट में रखी गई अवधि को उसके अपने छुट्टी खाते में से बीमारी की अवधि से डेबिट किया जाएगा. बहरहाल, अन्य मामलों में जिनमें चिकित्सा जांच कर्मचारी को स्वास्थ्य स्थिति के अलावा किन्हीं अन्य कारणों से तीन दिन में पूरी नहीं की जा

20/8/14

सकी. आवधिक चिकित्सा जांच के परिणाम तक पहुंचने में डॉक्टर द्वारा अपेक्षित संपूर्ण अवधि को अवधि को ड्यूटी के रूप में माना जाएगा.

तदनुसार भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, 2000 के पैरा 524(ii) से संबंधित अनिम शुद्धि पर्ची संलग्न है.

इसे सदस्य कार्मिक का अनुमोदन प्राप्त है.

(आर.एस.शुक्ला) 23/09
उप निदेशक/ स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड.

सं. 2013/एच./5/1 (पॉलिसी) नई दिल्ली, दिनांक 13.08.2014.

प्रतिलिपि प्रेषित:

I. मुख्य चिकित्सा निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयों एवं अस्पताल सहित

II. मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां एवं अस्पताल सहित.

(आर.एस.शुक्ला) 23/09
उप निदेशक/ स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं. 2013/एच./5/1 (पॉलिसी) नई दिल्ली, दिनांक 13.08.2014.

प्रतिलिपि प्रेषित:

i बोर्ड (सदस्य कार्मिक) की सूचना के लिए सदस्य कार्मिक का पीएसओ .

ii ईएनजी(I), ईएनजी(I I), सुरक्षा(रेगा), सुरक्षा(वि.), वित्त व्यय(वि.) शाखा.

(आर.एस.शुक्ला) 23/09
उप निदेशक/ स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड.

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.

भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, 2000 के पैरा 524 के शुद्धि पर्ची

पैरा 524 (ii), भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली 2000 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

"पैरा 524 (ii), भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली 2000 - ए-टू तथा नीचे की चिकित्सा कोटियों के कर्मचारियों की आवधिक चिकित्सा जांच उसी दिन तथा ए-वन चिकित्सा कोटि की जांच मुख्यत: दो दिन में पूरी हो जानी चाहिए, परन्तु सभी चिकित्सा कोटियों के कर्मचारियों की आवधिक चिकित्सा जांच निरपवाद रूप से तीन दिन में पूरी हो जानी चाहिए. बहरहाल, यदि रेलवे डॉक्टर की दृष्टि में कर्मचारी का शुगर अथवा उच्च रक्तचाप अथवा अन्य कोई उपचारयोग्य स्थिति का मामले हो तथा उसे फिट घोषित करने में 3 दिन से अधिक समय लगने की संभावना हो तो, डॉक्टर ऐसे कर्मचारी को ड्यूटी के लिए फिट घोषित किए जाने तक बीमारों की सूची में रखने की सलाह देगा. जांच करने वाला डाक्टर संबंधित कर्मचारी की तैनाती के स्थान पर नियंत्रण प्राधिकारी को लिखित में सूचित करेगा कि चिकित्सा परीक्षक द्वारा उसके मामले में अंतिम रूप दिए जाने तक उसे बीमारों की सूची में रखने के लिए प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के लिए कर्मचारी को सिक मेमो जारी किया जाए. ऐसे मामलों में, उपचारयोग्य चिकित्सा स्थिति के कर्मचारी को बीमारों की सूची में रखी गई अवधि के लिए, बीमारी की अवधि को उसके अपने एर्नी खाता में से डेबिट किया जाएगा. बहरहाल, जहां कर्मचारी के स्वास्थ्य के अलावा किन्ही अन्य कारण से चिकित्सा जांच तीन दिनों में पूरी नहीं हो पाती, डॉक्टर द्वारा आवधिक चिकित्सा जांच के निष्कर्ष तक आने की तक संपूर्ण अवधि को ड्यूटी के रूप में माना जाएगा. बहरहाल इसमें चश्मा खरीदने या कर्मचारी द्वारा जानबूझकर की गई देरी में लगा समय शामिल नहीं होगा."

****